बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०– 49/2016– 4281 /कृ0, पटना, दिनांक 4/11/ ,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना तथा इससे संबंधित राज्य योजना का 9806.9286 लाख (अंठानवे करोड़ छः लाख बेरानवे हजार आठ सौ साठ रूपये) {वर्ष 2017–18 की बजट से 9038.8516 लाख (नब्बे करोड़ अड़तीस लाख पचासी हजार एक सौ साठ) रूपये तथा अव्यवहृत अवशेष 768.077 लाख (सात करोड़ अड़सठ लाख सात हजार सात सौ)}रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना तथा इससे संबंधित राज्य योजना का 9806.9286 लाख (अंठानवे करोड़ छः लाख बेरानवे हजार आठ सौ साठ रूपये) {वर्ष 2017–18 की बजट से 9038.8516 लाख (नब्बे करोड़ अड़तीस लाख पचासी हजार एक सौ साठ) रूपये तथा अव्यवहृत अवशेष 768.077 लाख (सात करोड़ अड़सठ लाख सात हजार सात सौ)}रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का वर्ष 2017–18 में राज्य, जिला तथा न्यून स्तर पर चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 संलग्न है।

3. उक्त योजना का वर्ष 2016–17 में भौतिक उपलब्धि का विवरण अनुसूची–2 में संलग्न है। उक्त योजना के अधीन वर्ष 2016–17 में व्यय के बाद 768.077 लाख रू0 अवशेष के रूप में उपलब्ध है, जिसे व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) एवं बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) में स्वीकृत पद कार्य योजना का भाग है। भारत सरकार द्वारा अनुमान्य पदों के अतिरिक्त राज्य योजना से कतिपय पद सृजित किये गये हैं। पूर्व से सृजित पदों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यरत/नियुक्त कर्मियों को संबंधित आत्मा/बामेती के द्वारा अवधि विस्तार अनुमान्य किया जायेगा। सृजित पदों पर सभी नियुक्तियाँ आत्मा एवं बामेती सोसाईटी के द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत स्वीकृत पद/वेतनमान/कार्यरत पद/वार्षिक वेतन/नियत वेतन से संबंधित विवरणी अनुसूची–3 संलग्न है।राज्य योजना के अधीन स्थापना मद में 19 जिलों में योजना के लिए आवश्यकता से अधिक राशि अवशेष के रूप में संचित है। उन जिलो के लिए स्थापना मद में दिनांक 31.03.2018 तक संभावित व्यय की राशि को घटाकर शेष राशि कोषागार में जमा करा दिया जायेगा।

E:\ABHINAV\2017-18\nmaet\Pradhikrit samiti sanlekh 2017-18.doc

4. कार्यक्रम के अधीन बामेति के भवन निर्माण का मद भी शामिल किया गया है। संस्थान की आवश्यकता को देखते हुए आधारभूत संरचना प्राधिकार को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था। मुख्य परामर्शी (बी0ओ0टी0) आ0सं0वि0प्रा0 द्वारा दिनांकः 28.12.2011 को भवन निर्माण के लिए 15,24,16,000 रूपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति दी गई। छायाप्रति अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है। दिनांकः 25.07.2011 को मुख्य परामर्शी (बी0ओ0टी0) आ0सं0वि0प्रा0 द्वारा आकस्मिक व्यय/डिजाईन/कंसलटेंसी व्यय एवं आई.डी.ए. चार्ज को शामिल करते हुए 16,34,99,547 रूपये की लागत पर टेक्निकल अप्रूवल दिया गया। संबंधित छायाप्रति अनुसूची–5 के रूप में संलग्न है। प्रबंध निदेशक (कार्य0 कार्या0) आ0सं0वि0प्रा0 द्वारा दिनांकः 26.02.2016 को 19,90,81,597 रूपये की लागत पर पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। संबंधित छायाप्रति अनुसूची–6 संलग्न है। निर्माण कार्य के बीच में बामेति/कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त कार्यो का निदेश दिया गया। तदनुसार प्राक्कलन में पुनरीक्षण की आवश्यकता के संबंध में प्राधिकार द्वारा सूचना दी गयी है। प्राधिकार से प्राप्त संबंधित प्रतिवेदन अनुसूची–7 संलग्न है। मूल प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार तुलनात्मक विवरणी अनुसूची–8 संलग्न है। दिनांकः 25.07.2011 को प्रदत्त टेक्निकल अप्रूवल की तुलना में दिनांकः 26.02.2016 को पुनरीक्षित टेक्निकल अप्रूवल में 23.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्राधिकार से प्राप्त संबंधित प्रतिवेदन अनुसूची–9 संलग्न है।

5. भारत सरकार द्वारा इस संस्थान के निर्माण के लिए 125 लाख रूपये एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार से बैंक खाता के माध्यम से यह राशि बामेति को प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण मद में 1524.24 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। शेष राशि 341.576 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना में भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत निर्धारित है। परन्तु केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रावधान के अतिरिक्त राज्य योजना मद से पदों की स्वीकृति एवं बामेती भवन के निर्माण के लिए अवशेष राशि के भुगतान के मद को शामिल करने के बाद केन्द्रांश का अंश 53.6 प्रतिशत तथा राज्यांश का अंश 46.4 प्रतिशत हो गया है। उपरोक्त प्रकार से योजना का वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

मद	केन्द्रांश	समतुल्य राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश	कुल
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान)	4802.32	3201.55		8003.87
राज्य योजना से स्वीकृत पद	-	-	640.9856	640.9856
बामेती भवन की सुरक्षा एवं प्रबंधन	-	-	52.42	52.42
बामेति का भवन			341.576	341.576
कुल	4802.32	3201.55	1034.9816	9038.8516
अव्यवहृत अवशेष	460.85	307.227		768.077
सकल योग	5263.17	3508.777	1034.9816	9806.9286

7. केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप दिनांक 19.06.2017 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए गठित State Level Sanctioning Committee (SLSC) की बैठक में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के क्रियान्वयन के लिए कुल 8771.947 लाख रू0 का स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की कार्यवाही अनुसूची–10 संलग्न है।

8. केन्द्र प्रायोजित योजना आत्मा/बामेती सोसाइटी के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा निर्धारित शर्त की सीमा में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

9. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के केन्द्रांश मद की राशि की निकासी भारत सरकार से विमुक्ति प्राप्त होने के पश्चात केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश मुख्यालय स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। निकासी एवं व्ययन

पदाधिकारियों की विवरणी अनुसूची–11 पर संलग्न है। शत प्रतिशत राज्यांश मद से व्यय की जाने वाली राशि के लिए केन्द्रांश की विमुक्ति की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य स्तर पर राशि की निकासी के पश्चात इसे बामेति के पी0एल0ए0 खाता संख्या–278 में आंतरित की जायेगी। जिला स्तर पर निकासी की गयी राशि संबंधित जिला के आत्मा को उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त निकासी आवंटन के आधार पर की जायेगी। आवंटनादेश निर्गत करने के पूर्व जिलावार/ राज्य स्तर के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का विवरण आत्मा नोडल सेल द्वारा तैयार कर विभागीय बजट पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. इस योजना के वित्तीय सीमा के अंतर्गत घटक योजनाओं के लिए प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को एक घटक से दूसरे घटक में आवश्यकतानुसार संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया जा सकेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। बजट उपबंध के अधीन ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त राशि का अनुपूरक बजट में बजट उपबंध के बाद अतिरिक्त राशि का व्यय किया जायेगा।

11. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0217–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन, विपत्र कोड 01–2401001090217 पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144,विषयशीर्ष 0217.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	3785.33	3985.9256
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या–01, उपशीर्ष– 0236–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007890236, पी0एफ0एम0एस0कोड–9144,विषय शीर्ष 0236.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	729.70	768.3712
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0260–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007960260, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144,विषयशीर्ष 0260.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	45.61	48.0232
कुल	**4560.64**	**4802.32**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन विपत्र कोड 01–2401001090317, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 9144, विषय शीर्ष 0317.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2656.00	3692.2681
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0336–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन विपत्र कोड 1–2401007890336, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144,विषयशीर्ष 0336.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	512.00	512.2480
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष 0360–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007960360, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144, विषय शीर्ष 0360.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	32.00	32.0155
कुल	**3200.00**	**4236.5316**
सकल योग	**7760.64**	**9038.8516**